

स0 स0 14/एम 11-1/2024

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक ..

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतोष कुमार सिंह पिता- बशी सिंह ग्राम+पो0- हबीब नगर थाना- हुसैनगज, जिला- सिवान यूएचआईडी न0- 107877273	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मुस्कान कुमारी पिता- छोटेलाल सहनी ग्राम- फुलतकिया पो0+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण यूएचआईडी न0- 107875795	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुरेश प्रसाद वर्मा पिता- महावीर महतो ग्राम- माया बिगहा पो0- केनार चट्टी थाना- वजीरगज, जिला- गया यूएचआईडी न0- 107496231	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	विककी पिता- सजय कुमार ग्राम+पो0 - हुमायपुर वार्ड 13 थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढ़ी यूएचआईडी न0- 20120582783	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	मदीप कुमार पिता-लाल बाबु राय ग्राम+पो0-उसरी थाना-कै अस्थान जिला-दरभंगा यु0एचआईडी-107378206	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	5,00,000	पाच लाख स्वीकृत।
			12,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,00,000/- (बारह लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 967771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3379(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 967771 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2024

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	यश कुमार पिता- कृष्णा कुमार शर्मा ग्राम+पो0+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ यूएचआईडी न0- 101556778	हृदय रोग भीएसडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ~~767771~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड,

पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3380 (14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 767771 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
A

सं० सं० 14/ एम 11-01/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अखिलेश सिंह पिता- रामजित सिंह ग्राम- बलिभद्रपट्टी पो०- मीरगज थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज यूएचआईडी न०- 106683677	कैंसर रोग (लग्स)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~767771~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की

संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3381(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 76777 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०
ओखला रोड,
नई दिल्ली 110025

पटना, दिनांक 24/12/2024

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोहम्मद लुकमान पिता- मोहम्मद अब्बाबिल ग्राम- गोपलामठ पो०- पी भगवानपुर थाना- थावे जिला- गोपालगज	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 767771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 006-297816-001, खाता धारक का नाम- स्कार्ट हार्ट इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर लि०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation शाखा का नाम- Mumbai RTGS/IFSC कोड स0-HSBC 0400002 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलिसिस आदि के लिए।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3382(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 76777 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

5/12/2024

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

साकेत, प्रेस इन्कलेव रोड

साकेत, नई दिल्ली- 110017

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिमलेश कुमार साह पिता- गोरा साह ग्राम- नई करमन टोला पो0- आरा नवादा थाना- नवादा जिला- भोजपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 967771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 650014107927, खाता धारक का नाम- Devaki Devi Foundation, खाते का प्रकार- Cash Credit Account, बैंक का नाम Indusind Bank Limited शाखा का नाम- Dr. Gopal Das Bhawan, 28, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, RTGS/IFSC कोड स0- INDB0000005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3383(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 76777 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

गैरका सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,

108- ए इन्द्र प्रस्थ एक्सटेंशन

पतपरगंज दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनका नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुभाष चंद्र ओझा पिता— केदार नाथ ओझा ग्राम+पो0— देवकुली थाना— ब्रह्मपुर जिला— बक्सर	हृदय रोग	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 2,50,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये का क्रास चेक स0.
967770... मूल रूप में सलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुपयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को

- शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें ।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।
8. चेक—बालाजी मेडिकल एंड डायग्नोसीस रिसर्च सेंटर दिल्ली के नाम से चेक निर्गत किया जायेगा ।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वारामाजन

ह०/—

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख ।

ज्ञापाक 3384(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी,
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,
पिन-122001

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	निशात कुमार पिता- राम प्रवेश राय ग्राम- लाधो पो0- बेलादाम थाना- बलिगाव जिला- वैशाली	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुनील कुमार राय पिता- टेक नारायण राय ग्राम- माधोपुर गजपति पो0+थाना- देसरी जिला- वैशाली	हृदय रोग एभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 967771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा0 लि0, पेयबल- दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स0 ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार

प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

3385(14)

पटना, दिनांक

24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 96777 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट,
किंग जार्ज, मेडिकल यूनिवर्सिटी,
गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड अस्पताल
लखनऊ, उ0 प्र0-226003

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजीव पासवान पिता- रामनिवास माझी ग्राम- मिश्र बधौरा वार्ड 01 पो0- विजयपुर थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगज	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	जितेश कुमार पिता- कामेश्वर राम ग्राम- सिरसा सर्वोदय टोला पो0- दिघवा दुबौली थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगज	हृदय रोग	95,000	पन्चानवे हजार स्वीकृत।
			1,95,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,95,000/- (एक लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 ~~767771~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-20229846024 खाता धारक का नाम-CHIEF MEDICAL SUPERITENDENT (P.M& C.M) खाता” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-K.G.M.C LUCKNOW, RTGS/IFSC कोड स0 IDIB000K656 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 3387(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 76777 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 मनोज कुमार चौधरी
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशलीटी
कैंसर इंस्टीच्युट,
सीजी सी0टी0 सुल्तानपुर रोड,
लखनऊ-226002

पटना, दिनांक .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अफित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अफित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	बीरबहादुर पाल पिता- सरयू पाल ग्राम- रामनगर पो0- सालसला थाना- नावानगर जिला- बक्सर	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000 /	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 / (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं0 767765 . मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता

कोष, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3388(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक.. . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है -

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	उमरावती कुवर पिता- सुदामा पाण्डेय ग्राम+पो0+थाना- बडहरी जिला- रोहतास एमआरडी न0- 5737902	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	श्रवण कुमार राम पिता- राम किशुन राम ग्राम- लक्ष्मीपुर पो0- सोधी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 1048324	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रोनक कुमार पिता- शमशेर कुमार ग्राम- सुराहा पो0- सोखरा थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7001787	पेडीएट्रीक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	नीरज कुमार पिता- शम्भू पाण्डेय ग्राम- महमदा पो0- बथना थाना- पिपराकोठी जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 6773435	पैरालाइसिस	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	हेवती देवी पति- स्व० नन्दजी सिंह ग्राम- देवी मिश्रा की गली पो०+थाना- डुमरांव जिला- बक्सर एमआरडी नं०- 5705901	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	आरती देवी पति- मिथलेश तिवारी ग्राम- भरदुआ पो०+थाना- चेनारी जिला- रोहतास एमआरडी नं०- 6640693	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	उदय ठाकुर पिता- राम लक्षन ठाकुर ग्राम- बदीपुर पो०+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 6177777	किडनी दवा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	सचिन्द्र कुमार मिश्रा पिता- अरुण कुमार मिश्रा ग्राम- बेलबनवा पो०- मोतिहारी थाना- टाउन पुलिस स्टेशन जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न०- 6957004	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	शिवम कुमार गुप्ता पिता- ज्ञानचंद कुमार ग्राम- गोबिना पो०- करुप इन्द्रहियों थाना- सासाराम जिला- रोहतास एमआरडी नं०- 7081545	हृदय रोग भीएसडी क्लोजर	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	अमलावती देवी पति- रामयश तिवारी ग्राम- अतरवलिया पो०- कठेज थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न०- 6988143	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
11	प्रिया कुमारी पिता- मुन्ना कुमार गुप्ता ग्राम- सेमरी पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न०- 4631792	Critical Case Post for post spine surgery in ICU	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
12	मो० इल्ताफ हुसैन पिता- मो० इशहाक ग्राम+पो०+थाना- करगहर जिला- रोहतास एमआरडी न०- 6804311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	कलावती देवी पति- श्रीधर शर्मा ग्राम- वरहेता गढ पो0- तिलैया थाना- बाकेबाजार जिला- गया एमआरडी न0- 6286200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रिकू देवी पति- त्रिलोकी पटेल ग्राम- गहै पो0- लौखान थाना- ढाका जिला- पूर्वी चम्पारण एमआरडी न0- 6814833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सतीष कुमार सिंह पिता- विजय बहादुर ग्राम- बहुआरा पो0- छोटका अमवा थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 6732422	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	रौशन झा पिता- स्व0 रामानंद झा ग्राम+पो0- कालीगँव थाना- सिघवारा जिला- दरभंगा एमआरडी न0- 6092615	ब्रेन स्ट्रोक	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			₹ 16,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,70,000/- (सोलह लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, चालु खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 ~~767771~~... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **1065 4904 247** (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) खाता धारक का नाम- **कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**स्टेट बैंक आफ इण्डिया**, शाखा का नाम- **काशी हिन्दू विश्वविद्यालय**, RTGS/IFSC कोड स0 **SBIN 0000211** मे अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।** प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।**

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3389(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. ~~967771~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

पत्राक 14 / एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमित कुमार श्रीवास्तव पिता- महेश प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम- बाग राजा मान सिंह नई रोड सोनपुर पो०- सोनपुर, थाना- हरिहरनाथ जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अमन कुमार पिता- बच्चा सिंह ग्राम- बाघम्बरपुर पो०- सरिसवा बाजार थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सहजिदा खातून पिता- मो० जमालुद्दीन ग्राम- नावाडीह रोड बिगहा पो०- औरंगाबाद थाना- टाउन जिला- औरंगाबाद	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	गुफरान शाह पिता- खालिकुल जमा शाह ग्राम+पो०- बिऊर थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			2,80,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 767771 ...

द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-**36180579026**, खाता धारक का नाम- **APEX WELCARE PVT. LTD** खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, शाखा का नाम- **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC** कोड स0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 3390 (14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 **967771** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

3391(14)

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक 24/11/2024

विषय — मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनू कुमार पिता— अशोक साह ग्राम— महादेवा शिव मंदिर थाना— महादेवा पो०+जिला— सिवान केस फाईल न०—18एफ2023/007856	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अराध्या यादव पिता— सोनू सिंह ग्राम+पो०— कजरियों थाना— राजपुर जिला— बक्सर केस फाईल न०—16एफ2024/002358	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	महेद्र सिंह पिता— सूर्यनाथ सिंह ग्राम+पो०— कबिलासपुर थाना— दुर्गावती जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न०—18एफ2024/017333	कैंसर रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	रामसरेख सिंह पिता— विद्यानंद सिंह ग्राम+पो०— उचकागाव थाना— कुचायकोट जिला— गोपालगंज केस फाईल न०—18एफ2024/014129	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	रोशनी पिता- बिधयासागर साह ग्राम- अमनौरा पो0- तियाय थाना- आन्दर जिला- सिवान केस फाईल न0-16एफ2024 / 001982	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	रामावती देवी पति- बिमलाकात पाडेय ग्राम- हरिगौव पो0- सनेया ब्रहटा थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2024 / 018075	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	कमला देवी पति- दुर्गा प्रसाद ग्राम+पो0- हाटा थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 009731	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	बिभा देवी पति- नीरज कुमार ग्राम- केन्दुआ पो0- अकौना थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा केस फाईल न0-18एफ2024 / 009019	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	पिकी देवी पति- मनोज पाडेय ग्राम+पो0+थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर केस फाईल न0-18एफ2023 / 006219	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	पुष्पा सिंह पति- राम उदय कुमार सिंह ग्राम- 133 नियर शिव मंदिर सी डी ए कॉलोनी फुलवारीशरीफ पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2024 / 019109	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	रुक्मणि देवी पति- सजय कुमार ग्राम- मिश्रा टोला महाजन टोली नं0- 1 महादेव रोड आरा पो0- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 18एफ2023 / 01409	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	आसिया खातून पति- नूर हसन ग्राम- खरगपुरा पो0- डिहरी थाना- राजपुर जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2024 / 013465	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	सुनिता देवी पति- रामाशकर यादव ग्राम- तिरबिरवा पो0- भितभेरवा थाना+जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2024 / 017431	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	अजुम खातून पति- मुबारक हुसैन ग्राम+पो0- हुस्सेपुर थाना- भोरे जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2024 / 002212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	पूनम देवी पति- राजीव कुमार सिंह ग्राम+पो0- सफियाबाद थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगज केस फाईल न0-18एफ2024 / 014345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	विजय नारायण ठाकुर पिता- श्याम नारायण ठाकुर ग्राम- कोइरिया पो0- सीसार थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2024 / 000370	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मास्टर असजद रजा पिता- मो0 ऐहरार आलम ग्राम- मीनापुर पो0- बघवा थाना- बलिया बेलौन जिला- कटिहार केस फाईल न0-18एफ2024 / 010625	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	रामचंदर प्रसाद पिता- सोनपाल सहाय ग्राम+पो0- धनमा थाना- बाराचट्टी जिला- गया केस फाईल न0-18एफ2024 / 007750	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	मास्टर प्रशांत कुमार पिता- रजीत कुमार ग्राम- चन्दाचक पो0- कुर्थौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना केस फाईल न0-19एफ2024 / 001321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	गुड्डि कुमारी पिता- मुकेश मडल ग्राम- सोरन पो0- लक्ष्मीपुर गिरधर थाना- रूपौली जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न0-19एफ2024 / 003496	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
21	प्रदीप शर्मा पिता- कबीलाश शर्मा ग्राम- कठघरवा चौसा पो0- चौसा थाना- मुफ्फसिल जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2023 / 016375	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	मास्टर दिव्याशु कुमार पिता- आकाश कुमार ग्राम+पो0- कोहबरवा थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी केस फाईल न0-11एफ2024 / 035960	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	मीरा देवी पति- मुकेश यादव ग्राम- छौराहिया पो0- रतनमाला थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 015255	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	मास्टर अश कुमार पिता- छटु चौधरी ग्राम- रामनगर बिदटोली पो0- नगरह थाना- नवगछिया जिला- भागलपुर केस फाईल न0-16एफ2024 / 002514	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	अनीता देवी पति- वीरेदर प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम+पो0- चिलहरुआँ थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2023 / 014058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	अनिरुद्ध प्रसाद सिंह पिता- स्व0 अलखदेव सिंह ग्राम+पो0- घोसतावा थाना- कादिरगज जिला- नवादा केस फाईल न0-19एफ2024 / 005157	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

27	सजय कुमार पिता- स्व० सूर्य केशवर प्रसाद ग्राम- अशोक नगर रोड न०- 6 पो०- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना केस फाईल न०- केडी / 09290	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	विधानन्द सिंह पिता- गुली सिंह ग्राम+पो०- सेवतापुर थाना- मैरवा जिला- सिवान केस फाईल न०-18एफ2024 / 013843	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मास्टर लवकुश कुमार पिता- सतोष कुमार सिंह ग्राम+पो०- डिघीटा थाना- कोचस जिला- रोहतास केस फाईल न०-16एफ2024 / 002390	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	पलक कुमारी पिता- जितेन्द्र कुमार गुप्ता ग्राम- अमेठ पो०- भिटी थाना- मोहनियाँ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न०-16एफ2024 / 002291	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
31	कविता कुमारी पति- कन्हैया कुमार ग्राम- पित्सर पो०- सैसर थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न०-18एफ2024 / 017439	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
32	त्र्यम्बकेश पिता-शिव शकर प्रसाद ग्राम-लहेरिया पोखर पो०+थाना बाढ जिला-पटना केस फाइल न०-16एफ2024 / 002498	कैसर रोग	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
33	मास्टर गौरव कुमार पिता-राजेश मिस्त्री ग्राम-लोहसिघना पो०-अमेठी थाना-वजीरगज जिला-गया केस फाइल न०-सीयु० / 23592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	अजली कुमारी पिता- प्रेम कुमार सिंह ग्राम+पो०+थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न०-18एफ2024 / 015223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

35	राजेश कुमार पटेल पिता- बैजनाथ प्रसाद ग्राम- नेहरू टोला हुमाद गली पो- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना केस फाईल न0-18एफ2024/017977	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			रु 34,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 34,25,000/- (चौतीस लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 967771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0280196 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 3391(14)

पटना, दिनांक- 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 967771 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

जॉ0 मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक . . .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभिषेक कुमार पिता- अम्बिका सिंह ग्राम- गिरिहिडा पो0+थाना+जिला- शेखपुरा केस फाईल न0- सीएस/13143	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	श्रीमा कुमारी पिता- महेन्द्र भगत ग्राम- रामफल साह टोला वार्ड 02 पो0+थाना+जिला- सहरसा केस फाईल न0-11एफ2024/027294	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	अरविन्द कुमार पिता- स्व0 बृजनन्दन प्रसाद ग्राम- पचशील नगर पो0+थाना- बाढ़ जिला- पटना केस फाईल न0-11एफ2023/005415	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुनील भगत पिता- सुगा शंकर भगत ग्राम- ठाकुर पचलशी पो0- अघैला थाना- धनौती जिला- सिवान केस फाईल न0- सीयू/01595	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	मा0 मसूर आलम पिता- आसो मिया ग्राम- नेपा पो0- फतहेपुर थाना- पचानपुर ओ पी टिकारी जिला- गया केस फाईल न0-12एफ2024/002589	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	राम किशोर पिता- ध्रुवनाथ प्रसाद ग्राम- सूर्यपुरा पो0- किशुनपुरा थाना- बसतपुर जिला- सिवान केस फाईल न0-11एफ2024 / 027427	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	विन्दा देवी पति- आत्माराम प्रसाद ग्राम- धोबवलिया पो0- जिगरवा थाना- महाराजगज जिला- सिवान केस फाईल न0- सीवी / 33660	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,70,000/- (पाँच लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 **967771** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **1002449683** खाता धारक का नाम- **टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**, शाखा का नाम- **टी0एम0एच0, RTGS/IFSC** कोड सं0 **CBIN 0284241** में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- **30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3392(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~76777~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

रा।0 रा।0 14/एम 11 1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Rashtra Sant Tukdoji Cancer Hospital,
Manewada Road, Nagpur - 440027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुमार विमल पिता- नागेन्द्र प्रसाद शर्मा ग्राम- करम पो- दीरी थाना- अकबरपुर जिला- नवादा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000 /- (अस्सी हजार) रुपये का क्रास चेक सं 767764 मूल रूप में सलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5 चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 3393(14)

पटना, दिनांक

24/12/2021

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ संबंधित मरीज /आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रभक

डॉ० मंगज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई0-सी0ए0, रकुडर रोड
पी0 नं0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय -- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कार्यक्रम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नसीमा खातून पति- अलिनेशात रब्बानी ग्राम- भलुई पो0+थप्पा- जामो बाजार जिला- सिवान सीएननं न0- 615603 एफ	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	कमरान दास पिता- रामचंद्र राम ग्राम- नीमा पो0- बाण्डेय परसावा थाना- गगध मेडिकल जिला- गया सीएननं न0- एजी 20907	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	कल्याण कुमारी पति- वरुण कुमार सिंह ग्राम- तारडीह पो0- देवाचक थाना- अमरपुर जिला- बांका सीएननं न0- 088853 पी	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	सुनील कवी पति- सुरेंद्र कुमार सिंह ग्राम- नरौरा पो0- नंदर कैथी थाना- नैनारी जिला- रोहतास सीएननं न0- एजी 87313	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	अमन कुमार पिता- बिरेद्र कुमार ग्राम- रसुला पो0- पैगम्बरपुर थाना- काको जिला- जहानाबाद सीएमसी न0- एजी 54391	ट्यूमर सर्जरी (कैसर)	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	निर्मला देवी पति- राम बालक साह ग्राम- असुरारी पो0- बीहट थाना- बरौनी जिला- बेगूसराय सीएमसी न0- एबी 57934	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	अविनाश कुमार पिता- सत्यनारायण प्रसाद ग्राम- खैरा चकनी पो0- नया भोजपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीएमसी न0- एएफ 37739	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	सिहता देवी पति- चंद्रदेव सिंह ग्राम- रमनपुर पो0- उटली बारा थाना- टनकुप्पा ओ पी वजीरगंज जिला- गया सीएमसी न0- एजी 89068	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	कुदन कुमार पिता- प्रभु प्रसाद गुप्ता ग्राम- महुआ मुकुदपुर पो0+थाना- महुआ जिला- वैशाली सीएमसी न0- 268417 पी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सगीता देवी पति- सुशील भगत ग्राम- भेलानारी पो0- सलहा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण सीएमसी न0- 592440 पी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	रेणु देवी पति- प्रदीप गिरि ग्राम- उफरौली पो0+थाना- परैया जिला- गया सीएमसी न0- 898936 एच	बोन मैरो ट्रासप्लांट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

12	उमेश कुमार राणा पिता-- राजू राणा ग्राम-- छटोखर पो-- कमालपुर थाना-- टिकारी जिला-- गया सीएसपी न०-- 418494 पी	हृदय रोग सीएबीजी	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत।
13	अमरेश कुमार पिता--राम कृष्ण प्रसाद ग्राम-- जमुआवा पो-- सुगी थाना--बजीरगज जिला - गया सीएसपी न०-- एजी 84395	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			20,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,20,000/- (बीस लाख बीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~967771~~ ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36889551846, खाता धारक का नाम-- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार--चालु, बैंक का नाम--एस०बी०आई०, शाखा का नाम--भेल्लोर, गउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०--SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुज्ञाप्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत राशि में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ कर। अनिवार्य रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा-- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3394(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 767771 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एड रिसर्च, चडीगढ- 160012

पटना, दिनांक .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रणजीत ओझा पिता- स्व० रामा शंकर ओझा ग्राम- नावाडीह पो०- सडौर थाना- बिहिया जिला- भोजपुर सीआर न०- 201605400163	किडनी दवा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	रवि राज पिता- राजेश कुमार ग्राम- सी के रोड चौधरियाना आरा पो०- आरा चौक थाना- टाउन जिला- भोजपुर सीआर न०- 202301432244	किडनी दवा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
3	मनीष कुमार मनीष पिता- नेविलाल सुधाकर ग्राम- रोहुआ पो०- शाहपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर न०- 202403192099	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	अरविन्द कुमार सिंह पिता- नागदेव सिंह ग्राम- बर्मा पो०- बी टी बीघा थाना- शेरघाटी, जिला- गया सीआर न०- 201606212875	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।

5	बम बहादुर सिंह पिता- बिरेन्द्र सिंह ग्राम- यारपुर राजपुताना पो- जी पी ओ थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 202402602498	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			9,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,35,000/- (नौ लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~76777~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम- "डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0 " खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3395(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~76777~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक/अधीक्षक,
इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज
एडं रिसर्च सेंटर बी०जे० मेडिकल कालेज
एडं सिविल अस्पताल कैम्पस असरवा
अहमदाबाद-380016

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हिमांशु कुमार पिता- मनोज कुमार सोनी ग्राम+पो०+थाना- बरौली जिला- गोपालगंज	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	अभिनन्दन कुमार पिता- मिथिलेश प्रसाद सिंह ग्राम- छेमा पो०- बेलाव थाना- शेखोपुरसराय जिला- शेखपुरा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 6,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,00,000/- (छः लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 767771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० -353501011014063 खाता धारक का नाम-“इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज एडं रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- युनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-Civil Hospital Compound Branch, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० UBIN 0558486 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3396(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 767774 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11 1/2024

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च

इं० महात्मा गांधी रोड, ठाकुर पुर

कोलकता-700063

पटना, दिनांक

...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कचन देवी पति- श्रीकृष्ण तिवारी ग्राम+पो०- सोनबरसा थाना- कनेमपुर जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			रु० 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० ₹ 1,00,000/- (एक लाख) का क्रास चेक सं० 767763 मूल रूप में सलमन है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का

नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 3397(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० — की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

पत्राक 14 एम 11-1/2024
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० मनोज कुमार चौधरी,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक
बी०एम० बीडला, हार्ट रिसर्च, सेटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.12.2024 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम लखन यादव पिता— नन्हकू यादव ग्राम— भटकूरहा पो०— ढाब चिरिया थाना— शेरघाटी जिला— गया	हृदय रोग	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 967771 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 232102000000002, खाता धारक का नाम— बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० IOBA0002321 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० मनोज कुमार चौधरी)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 3398(14)

पटना, दिनांक 24/12/2024

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 967777 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख